



2026:AHC:130330

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21948 वर्ष 2026

अमजद @ बोबी

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: आशीष शुक्ला, विवेक सिंह

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सिंह के होल्डिंग ब्रीफ श्री सूरज उपाध्याय और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत याचिका आवेदक को प्रकरण अपराध संख्या 63 वर्ष 2026, धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता और 5बी/25/25(7) शस्त्र अधिनियम के तहत, थाना- लोहियानगर, जिला- मेरठ में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। सह-आरोपी आमिर को मौके से गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से अवैध आग्नेयास्त्र निर्माण से संबंधित सामग्री बरामद की गई है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है और वह 15.05.2026 से जेल में है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि सह-आरोपी आमिर के कब्जे से भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गोदाम में अवैध आग्नेयास्त्रों का निर्माण किया जा रहा था और सह-आरोपी आमिर, जो आग्नेयास्त्रों का निर्माण करता था, उन्हें आवेदक और अन्य सह-आरोपियों को आपूर्ति करता था। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी रिहान और आमिर (सह-आरोपी, जिसे घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है) को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 9613 वर्ष 2026 और 11023 वर्ष 2026 में क्रमशः 28.03.2026 और 10.04.2026 के आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

6. इसी तरह की स्थिति वाले सह-आरोपी रिहान और आमिर (सह-आरोपी, जिसे घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है) को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9613 वर्ष 2026 और 11023 वर्ष 2026 में क्रमशः 28.03.2026 और 10.04.2026 के आदेशों के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक का प्रकरण सह-आरोपियों के प्रकरण के समान ही है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जमानत का प्रकरण बनता है।

8. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. उपर्युक्त प्रकरण अपराध संख्या में आरोपी-आवेदक-अमजद उर्फ बोबी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक निचली न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण की खूबियों पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

अइमान